

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022 — चैत्र 10, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-14/2018/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :—

### अनुसूची

सं. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बलौदाबाजार— भाटापारा	बिलाईगढ़	भटगांव	राजस्व निरीक्षक मण्डल जमगहन के पटवारी हल्का नं. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53 एवं 54 के कुल 46 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल भटगांव के पटवारी हल्का नं. 22 एवं 29 के कुल 9 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल गिरसा के पटवारी हल्का नं. 20, 30, 31, 37, 42, 43, 44 एवं 52 के कुल 39 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरसीवां के पटवारी हल्का नं. 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 एवं 55 के कुल 25 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल बिलासपुर के पटवारी हल्का नं. 39, 40, 45, 46, 47,	उत्तर— तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा दक्षिण— तहसील सरायपाली, जिला महासमुन्द पूर्व — तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ पश्चिम— तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार— भाटापारा

			48, 49 एवं 50 के कुल 30 ग्राम, अतः 36 पटवारी हल्के के कुल 149 ग्राम नवीन तहसील "भटगांव" में शामिल होंगे।	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2022

#### NOTIFICATION

No. F 11-14/2018/Seven-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tahsil specified in column (3), creates a new Tahsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely :-

#### SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of change	Boundaries of new Tahsil.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BalodaBazar-Bhatapara	Bilaigarh	Bhatgaon	Total 46 villages of Patwari Halka No. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53 and 54 of Jamgahan R.I. Circle, Total 9 villages of Patwari Halka No. 22 and 29 of Bhatgaon R.I.Circle, Total 39 villages of Patwari Halka No. 20, 30, 31, 37, 42, 43, 44 and 52 of Girsa R.I.Circle, Total 25 villages of Patwari Halka No. 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 and 55 of Sarsinva R.I. Circle. Total 30 villages of Patwari Halka No. 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49 and 50 of Bilaspur R.I.Circle, Thus, total 149 villages of 36 Patwari Halkas shall be included in new Tahsil "Bhatgaon".	North— Tahsil Navagarh, Dist. Janjgir- Champa. South— Tahsil Saraipali, Dist. Mahasamund. East – Tahsil Sarangarh, Dist. Raigarh. West— Tahsil Bilaigarh, Dist. BalodaBazar-Bhatapara.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.